3-1 dj प्रशासन

परिवहन विभाग वाहनों के पंजीकरण, करों और शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण, परमिट प्रदान करने, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने, शास्ति के आरोपण आदि के प्रशासन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।

परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो नीतियों के व्यवस्थापन, कार्यन्वयन एवं निष्पादन, निर्देशन, प्रशासन, कर दरों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के शुरूआत करना आदि के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वह अधीनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त, एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक उप परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त (विधि), एक सहायक परिवहन आयुक्त, एक लेखाधिकारी एवं एक संयुक्त संचालक, वित्त मुख्यालय में होते है। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पाँच वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (व.क्षे.प.अ.), एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) एवं 21 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) होते है। क्षे.प.अ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी है। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.अ. के समान है। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन पंजीकृत वाहनों का परमिट संबंधित क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक संरचना pkV 3-1 में दर्शाया गया है।

pkV 3-1 % lxBukRed lajpuk

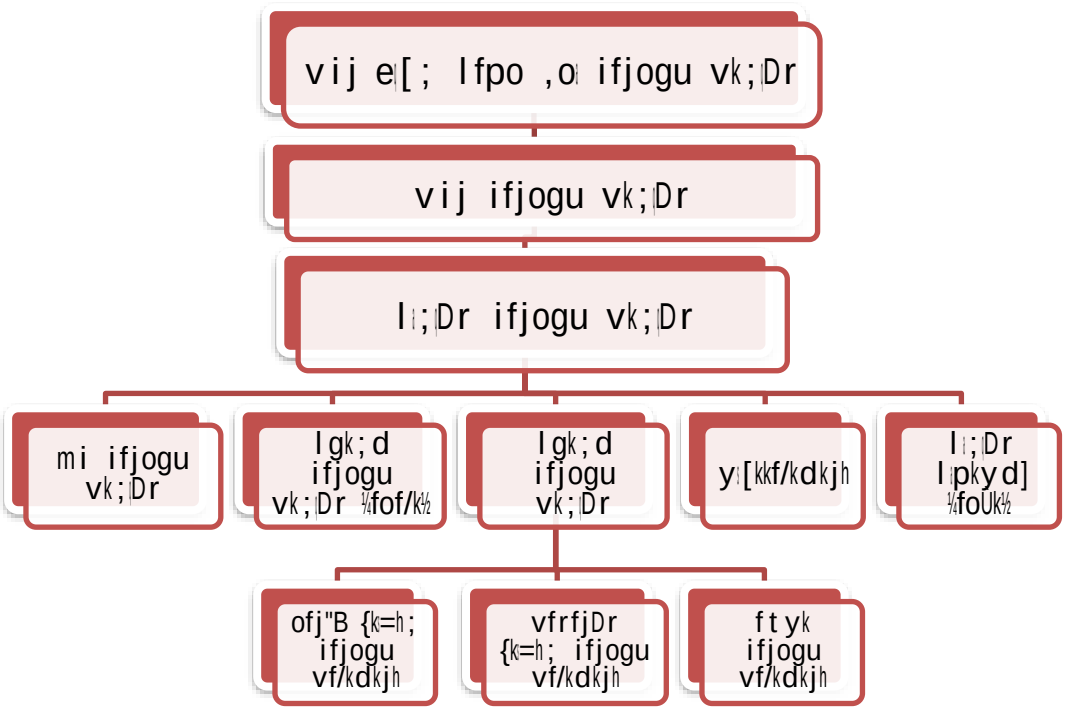

पाँच वर्ष की अवधि 2014–19 के दौरान परिवहन विभाग से राजस्व वर्षानुवर्ष के आधार पर वृद्धि हुई। परिवहन विभाग में वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 के तुलना में 2.10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई एवं राज्य के स्वयं के राजस्व (कर और

करेत्तर) का 4.14 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 1.85 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के माहों के दौरान परिवहन विभाग की प्राप्तियों में व्यापक उतार–चढ़ाव था तथा वर्ष की कुल प्राप्तियों राशि ₹ 1,204.85 करोड़ में से सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 6.06 प्रतिशत एवं 10.72 प्रतिशत दर्ज हुई जो की नीचे दर्शाये गए pkV/ 3-2 में देखा जा सकता है:

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

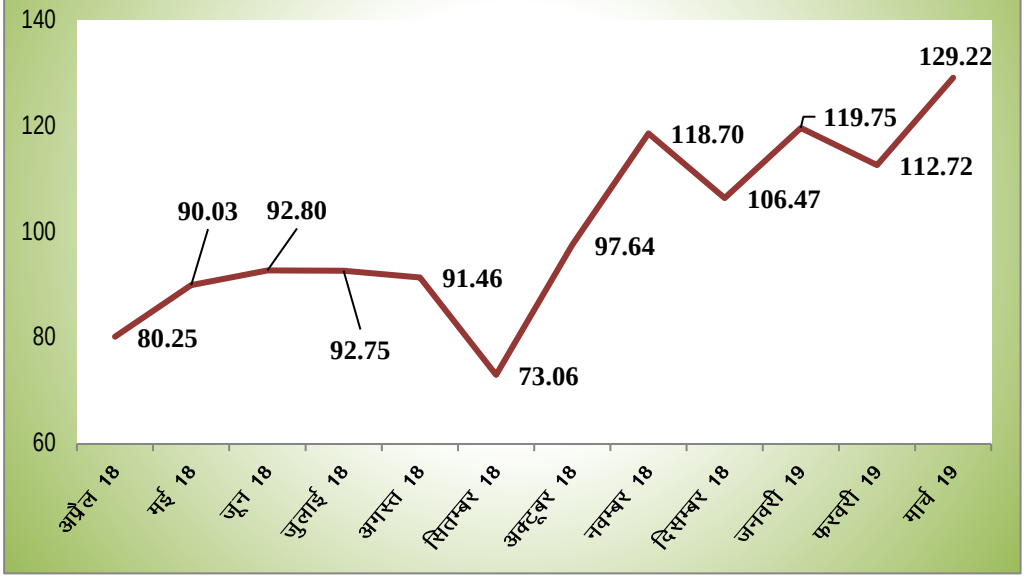

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय–समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

3-2 y[kkijh{kk ifj.kke

परिवहन विभाग की 28 इकाईयों ने वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 1,180.01 करोड़ अर्जित किये। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 में चार[2] इकाईयों के कुल 5.95 प्रतिशत प्रकरणों (कुल 1,88,953 में से 11,234) की नमूना जाँच की गई जो वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त कुल राजस्व का 49.87 प्रतिशत (₹ 588.43 करोड़) है ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि कर/शुल्कों का आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध, संबंधित

---

[1] राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान, विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से का निवल आगम सम्मिलित है।

[2] क्षे.प.अ., रायपुर; क्षे.प.अ.,दुर्ग; जि.प.अ., रायगढ़ एवं जि.प.अ., कोरबा।

अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार की जा रही है एवं शासन के हितों की रक्षा की जा रही है। ₹ 32.08 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव के साथ 31.01 प्रतिशत (11,234 में से 3,484) प्रकरणों की नमूना जांच में अधिनियम/नियमों/संहिताओं/नियमावलियों से संबंधित गैर–अनुपालन के विभिन्न मुद्दे लेखा परीक्षा द्वारा पाये गये जिसका विवरण rkfydk 3-1 में दर्शाया गया है:

rkfydk 3-1½ y[kkijh{kk ifj.kke

(₹ करोड़ में)

l- Ø-	J`.kh	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	3,121	30.24
2.	कर की कम प्राप्ति	184	1.66
3.	अन्य अनियमिततायें[3]	179	0.18
;ksx		3]484	32-08

विभाग द्वारा कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 1,021 प्रकरणों (29.31 प्रतिशत) में सन्निहित राशि ₹ 4.76 करोड़ को स्वीकारते हुए 499 प्रकरणों में राशि ₹ 1.72 करोड़ वसूली की गई। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

3-3 eksVj ;ku dj dh vizkfIr

{ks-i-v-@ft-i-v- }kjk dk;Zokgh u fd;s tkus ds dkj.k 471 okgu Lokfe;ksa से कर की राशि ₹ 1-26 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 1-26 djksM+ dh vizkfIrA

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक वाहन पर कर, यात्री यानों पर ₹ 1,200 से ₹ 36,000 प्रतिमाह की दर से एवं माल यानों पर उनके सकल वाहन भार 2,000 किलोग्राम (कि.ग्रा.) तक ₹ 300 प्रति तिमाही एवं प्रत्येक 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये अतिरिक्त ₹ 100 आरोपित होगा। हार्वेस्टर के मामले में कर कि दर ₹ 200 प्रति तिमाही जिसका उतरा हुआ भार (अनलेडन वेट) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक न हो एवं अतिरिक्त ₹ 300 प्रत्येक 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये होंगे। भुगतान न करने की दशा में माल, यात्री एवं हार्वेस्टर वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति[4] देय होगी परन्तु असंदत्त कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग–पत्र जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्रवाई करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ–रोड़' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरूआत से पहले वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

पाँच[5] परिवहन कार्यालयों में 2,44,781 पंजीकृत वाहनों में से 14,170 वाहनों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन डेटाबेस की नमूना जांच अवधि अगस्त 2016 से नवम्बर 2018 के लिए किये जाने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि कर अवधि अप्रैल 2013

---

[3] अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है, निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

[4] प्रतिमाह एवं उसके भाग के चूक के लिए असंदत्त कर का एक बटा बारहवां भाग।

[5] क्षे.प.अ., बिलासपुर; जि.प.अ., रायगढ़; क्षे.प.अ., रायपुर; क्षे.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ., कोरबा।

से दिसम्बर 2018 के लिए संबंधित 471[6] वाहन स्वामियों द्वारा कर की राशि ₹ 1.26 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं था जो ये प्रमाणित कर सके की वाहन ऑफ–रोड़ थे। क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर में यदि कोई असंदत्त मोटर यान कर एवं शास्ति हो तो बकायेदारों की सूची उत्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नही की गई। अतः क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण ₹ 1.26 करोड़ के कर एवं ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हुई जैसा की **परिशिष्ट 3-1** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2019) किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर (जनवरी से अगस्त 2020) में कहा गया कि बकाया कर एवं शास्ति की वसूली हेतु वाहन स्वामियों को मांग पत्र जारी किया गया है।

प्रकरण शासन को सूचित (जनवरी 2020) किया गया, उत्तर अपेक्षित (नवम्वर 2020) है।

वर्ष 2012–13 से 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई ठोस प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई।

---

6 मालयान = 422, यात्रियान = 32 एवं अन्ययान = 17